यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)** के माह 07/2008 से 12/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.के. गुप्ता, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.01.2017 से 17.01.2017 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पुष्कर, श्री प्रभाकर दुबे, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.07.2008 से 01.08.2008 तक श्री अशोक कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 05/2006 से 06/2008 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2008 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, चिकित्सालय में रोगियों को निशुल्क उपचार प्रदान करना, औषधि क्रय एवं निःशुल्क वितरण की व्यवस्था करना एवं मुख्यमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत सुविधाऐं प्रदान करना है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र चिकित्सालय परिसर तक समिति है जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का इलाज किया जाता है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13	-	7.10	250.35	248.66	23.31	28.81	-	1.69	-	1.60
2013-14	-	1.60	310.50	289.60	28.49	23.10	-	20.90	-	6.99
2014-15	-	6.99	348.34	337.52	44.16	42.48	-	10.82	-	8.68
2015-16	-	8.68	367.88	341.02	41.08	35.57	-	26.86	-	14.19
2016-17(12/2016 तक)	-	14.19	400.23	316.68	11.33	25.10	-	83.55	-	0.42

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13	-	-	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-	-	-
2016-17 (12/2016 तक)	-	-	-	-	-	-

(III) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

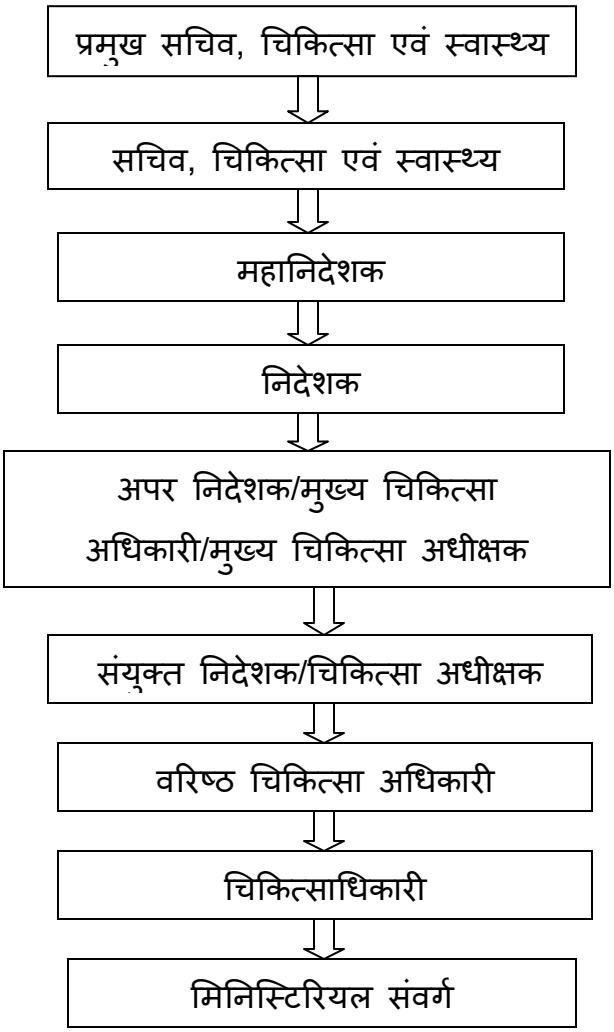

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2009, मार्च 2013, सितम्बर 2014 एवं जून 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
03/2006-07	1	1 एवं स्टैन – 1,2
68/2008-09	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------शून्य----------				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हो) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

1. औषधि की स्टॉफ पंजिकाओं का रख-रखाव उचित ढंग से किया जा रहा था।
2. चिकित्सालय में यूजर चार्जेज की रसीद बुकों एवं उससे संबंधित पंजिकाओं का रख-रखाव उचित ढंग से किया गया था।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- ` 1.12 लाख का अपरिहार्य व्यय।

चिकित्सा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 17प/7/56/2001/18531 दिनांक 29 जून 2002 में प्रावधानित किया गया था कि औषधियों का स्थानीय क्रय, औषियों के ऊपर हुए अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत कम मूल्य पर क्रय किया जाए। उत्तराखण्ड प्रोक्यूर्मेन्ट नियमावली 2008 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार ` 15,000 तक की सामग्री की अधिप्राप्ति बिना कोटेशन/निविदा के खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र पर क्रय की जाने वाली ` 15,000 से अधिक तथा ` 1,00,000 तक लागत की सीमा के क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिनकी आवश्यकता बार-बार होती है, उनके लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा दर संविदा के अनुसार किया जाना चाहिए। दर संविदायें सामान्यतः एक वर्ष के लिए की जा सकेगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर के वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के औषधियों के स्थानीय क्रय से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गयाकि चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक वर्ष स्थानीय बाजार से बिना निविदा आमंत्रित किए एवं चिकित्सालय में पंजीकृत फर्म के विपरीत वाहरी फर्म से औषधियों का क्रय किया गया था एवं इस हेतु कोई आपूर्ति आदेश भी निर्गत नहीं किए गये थे। जिसमें यह उल्लेख हो कि फर्म द्वारा औषधियों के ऊपर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत कम मूल्य पर औषधि उपलब्ध कराई हो। चिकित्सालय द्वारा समय-समय पर सीधे औषधि स्थानीय बाजार से ली गई थी जिनके बिल बाउचरों में न तो खुदरा मूल्य का कोई उल्लेख किया गया था एवं न ही औषधियों की स्टॉक पंजिका में इसका विवरण अंकित था। चिकित्सालय द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में स्थानीय बाजार से क्रय किए गये औषधियों का विवरण **संलग्नक-क** में दिया गया है।

संलग्नक विवरण से स्पष्ट है कि चिकित्सालय द्वारा उक्त कार्यालय आदेश का पालन नहीं किया गया जिसके कारण स्थानीय फर्म को निर्देशानुसार ` 4.87 लाख के सापेक्ष मात्र ` 3.75 लाख का ही भुगतान किया जाना था। इस प्रकार, उच्च दरों पर स्थानीय बाजार से औषधियों के क्रय पर न केवल ` 1.12 लाख का परिहार्य व्यय किया गया अपितु कुल क्रय एवं भुगतान भी अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि, कार्यालय आदेश संज्ञान में न होने के कारण दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा सका, जिसका

भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस समस्त शर्तों को दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व में ही पालन किया जाना चाहिए था।

अतः ` 1.12 लाख के अपरिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- विभागीय शिथिलता के कारण बीमा कम्पनी से समय पर प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ` 2.05 लाख की हानि।

उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को संचालित किए जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 100-XXXVIII-4-2015-58/2014 TC दिनांक 10.02.2015 में निर्देश निर्गत किए गये थे। निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ दिनांक 26.01.2015 से किया गया, जिसके आदेश के बिन्दु संख्या 5(1) एवं (2) के अनुसार ` 50,000 तक के लाभ के लिए निर्धारित प्रीमियम दर ` 335 × कुल आर.एस.बी. आई. आच्छादित परिवारों की संख्या का 25 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा आर.एस.बी.आई. आच्छादित परिवारों के अतिरिक्त एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत आच्छादित परिवारों की संख्या का शत-प्रतिशत प्रीमियम की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेन्द्रनगर के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत फरवरी 2015 से जून 2016 के दौरान कुल 87 बीमित रोगियों का ईलाज चिकित्सालय में किया गया, जिसके सापेक्ष हुए ` 2.05 लाख के व्यय की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा की जानी थी। लेखापरीक्षा अवधि तक ` 2.05 लाख की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी द्वारा नहीं की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि चिकित्सालय द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु बीमा कम्पनी को विवरण घोषित किया गया था परन्तु अभिलेखों को अपूर्ण रहने के कारण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई। वर्तमान में बीमा कम्पनी बन्द हो गई है जिसके कारण प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलेखों को ईलाज के दौरान ही पूर्ण किया जाना चाहिए था तथा समय पर ही बीमा कम्पनी से उसकी प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए थी।

अतः बीमा कम्पनी से समय पर प्रतिपूर्ति न किए जाने के परिणामस्वरूप ` 2.05 की हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- यूजर चार्जेज एवं अन्य विविध प्राप्ति के रूप में ` 4.41 लाख की राजकोषीय हानि।

उत्तराखण्ड के जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों एवं बेस चिकित्सालयों आदि के प्रबन्धन में लोच एवं गतिशीलता तथा चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्यों से शासन द्वारा शासनादेश संख्या 236/वि.-2-2003 दिनांक 24 मार्च 2003 के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किए। निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के उक्त चिकित्सा संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन किया जाना था, साथ ही चिकित्सालयों को यूजर चार्जेज के रूप में मिलने वाली धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि राजकोष में तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि चिकित्सालय संचालनार्थ चिकित्सा प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जानी थी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर के यूजर चार्जेज से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 (जुलाई 2008) से 2016-17 तक वर्षवार प्राप्त हुए यूजर चार्जेज की धनराशि या तो राजकोष में जमा ही नहीं की गई या प्राप्त धनराशि से कम धनराशि जमा की गई। जिसका विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	कुल प्राप्त यूजर चार्जेज	समिति के खाते में जमा की जाने वाली धनराशि (प्राप्त यूजर चार्जेज का 50 %)	समिति के खाते में जमा की गई धनराशि	राजकोष में जमा की जाने वाली धनराशि (प्राप्त यूजर चार्जेज का 50%)	राजकोष में जमा धनराशि	राजकोष में कम जमा धनराशि
2008-09	391505.00	195752.50	391505.00	195752.50	शून्य	195752.50

(जुलाई से)						
2009-10	360175.00	180087.50	360175.00	180087.50	शून्य	180087.50
2010-11	569113.00	284556.50	335178.00	284556.50	233935.00	50621.50
2011-12	629847.00	314923.50	314930.00	314923.50	314917.00	6.50
2012-13	662427.00	331213.50	331210.00	331213.50	331217.00	(+) 3.50
2013-14	698950.00	349475.00	349498.00	349475.00	349452.00	23.00
2014-15	831265.00	415632.50	415633.00	415632.50	415632.00	0.50
2015-16	1019037.00	509518.50	509521.00	509518.50	509516.00	2.50
2016-17	868159.00	434079.50	432832.00	434079.50	435327.00	(+) 1247.50
योगः-	**60,30,478.00**	**30,15,239.00**	**34,40,482.00**	**30,15,239.00**	**25,89,996.00**	**4,25,243.00**

इस प्रकार, चिकित्सालय को यूजर चार्जेज के रूप में जुलाई 2008 से दिसम्बर 2016 तक प्राप्त धनराशि ` 60.30 लाख में से नियमानुसार ` 30.15 लाख राजकोष में जमा किया जाना था परन्तु चिकित्सालय द्वारा इसके विपरीत मात्र ` 25.90 लाख ही राजकोष में जमा किया। अतः ` 4.25 लाख राजकोष में जमा ही नहीं किया गया, जो कि उक्त शासनादेश की सीधा उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि चिकित्सालय को निविदा शुल्क, फर्मों के पंजीकरण एवं सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ` 15,688 प्राप्त हुए थे जिसे चिकित्सालय द्वारा राजकोष में जमा न कर सीधे चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में जमा किया गया, जबकि उक्त प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जानी थी। इस प्रकार, यूजर चार्जेज एवं अन्य विविध प्राप्ति से ` 4.41 लाख की राजकोषीय हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेश चिकित्सालय के संज्ञान में न होने के कारण उक्त त्रुटि हुई। वर्तमान में शासनादेश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अन्य विविध प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया कि भविष्य के नियमानुसार अनुपालन किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूजर चार्जेज में प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष एवं चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते में 50:50 प्रतिशत के हिसाब से जमा किया जाना चाहिए था तथा अन्य विविध प्राप्ति की सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः यूजर चार्जेज एवं अन्य विविध प्राप्ति के रूप में ` 4.41 लाख की राजकोषीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ.नीलम कण्डारी	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	17.07.2008 से 18.07.2008
2.	डॉ. पी.एस. कुवार्बी	तदैव	19.07.2008 से 31.12.2010
3.	डॉ. एस.डी. उनीयाल	तदैव	01.01.2011 से 24.12.2011
4.	डॉ पी.के. चन्दोला	तदैव	25.12.2011 से 22.04.2012
5.	डॉ. नीलम कण्डारी	तदैव	23.04.2012से 31.05.2014
6.	डॉ. बी.एस. बिष्ट	तदैव	01.06.2014 से 07.09.2015

7.	डॉ. मीनाक्षी उनियाल	तदैव	08.09.2015 से 05.08.2016
8.	डॉ. मनोज बहुखण्डी	तदैव	06.08.2016 से वर्मतान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)